न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 82/2016(जी.सी.एम.एस. 2016/00265)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. सुरजीत सिंह पुत्र केसर सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 42 जीजी तहसील श्रीकरणपुर वर्तमान निवासी 18 एस डी तहसील विजयनगर।	1. गुरमेल कौर पत्नी केसर सिंह पुत्र नर सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 42 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 2. सुखमन्द सिंह पुत्र केसर सिंह पुत्र नर सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 42 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 3. जसपाल सिंह पुत्र केसर सिंह पुत्र नर सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 42 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 4. कृपाल सिंह पुत्र केसर सिंह पुत्र नर सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 42 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजूः– 13.07.2016

उपस्थितः1.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता वादी
2.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

––निर्णय–– **दिनांकः 16.06.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता केसर सिंह पुत्र नर सिंह ने अपने जीवनकाल में दो शादियां की पहली जंगीर कौर से की, जिससे वादी पैदा हुआ। वादी की माता का देहांत हो चुका है, तथा दूसरी शादी केसर सिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल कौर से जंगीर कौर के जीवनकाल में ही की। जिससे प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 पैदा हुए। केसर सिंह का देहांत दिनांक 11.05.2012 को हो चुका है। केसर सिंह के नाम राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.200 हैक्टेयर भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। केसर सिंह ने अपने जीवनकाल में वादी को अलग करते हुए पारिवारिक समझौता करके वादी को चक 42 जीजी के मुरब्बा नम्बर 49 हाल 42 का किला नम्बर 22 सालम व किला नम्बर 19 का निस्फ हिस्सा, किला नम्बर 22 के साथ लगता हुआ। कुल 1 बीघा 10 बिस्वा रकबा अपनी सहमति से दिया। वादी उक्त 1 बीघा 10 बिस्वा पर सन् 1982 से निरंतर आज तक लगातार काबिज चला आ रहा है। वादी के पिता के देहांत के बाद अब प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मन में बदनीति आ गई है तथा वह कोई कूटरचित वसीयत बनाकर रकबा अपने नाम से जरिये इंतकाल दर्ज करवाकर मुंतकिल करने तथा वादी को जबरन बेदखल करने की कोशिश में है। जिसके लिए गत सप्ताह भी कोशिश की गई। जबकि कथित कूटरचित वसीयत शुरू से शून्य है। क्योंकि वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 25.05.1982 को ही वादी को अलग करके उसको हिस्सा के रूप में उक्त 1 बीघा 10 बिस्वा दे दिया था। केसर सिंह को इस रकबा की वसीयत करने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं रहा। अतः कथित वसीयत वादी के अधिकारों पर शुरू से बेअसर है तथा केसर सिंह को बहला फुसलाकर अनुचित दवाब बनाकर तथा उसके बुढापे का अनुचित लाभ उठाने की नियत से बनावायी गई। जबकि केसर सिंह कथित वसीयत करने का अधिकारी नहीं था। वादी ने प्रतिवादीगण से बार-बार आग्रह किया कि वह वादी को पारिवारिक समझौता में मिले उक्त रकबा का खातेदार काश्तकार, हकदार मानकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये तथा तथाकथित कूटरचित वसीयत के आधार पर इंतकाल करवाने, रकबा को मुंतकिल करने वादी को जबरन बेदखल करने से बाज व ममनू रहे। मगर प्रतिवादीगण टालमटोल करते हुए दिनांक 10.07.2016 को साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर पारिवारिक समझौता दिनांक 25.05.1982 के आधार पर मृतक केसर सिंह पुत्र नर सिंह के नाम राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.200 हैक्टेयर भूमि में से दर्ज 1/7

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

हिस्सा भूमि में वादी को 1 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार घोषित किए जाने व वादगत भूमि के संबध में स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्टर सिंह सैनी उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार वादी केसर सिंह का वारिस नहीं है और ना ही केसर सिंह तथा सुरजीत कौर के नुत्फे से पैदा हुआ है। वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर केसर सिंह का वारिस बनकर गलत दावा पेश किया है। जो खारिज किए जाने योग्य है। केसर सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में वादी को लिखित दिनांक 25.05.1982 रुबरू गवाहान 5 रुपए की स्टाम्प पर तहरीर व तकमील करवाकर तथा अपना अगूठा लगाकर नही दी है। उक्त लिखित दिनांक 25.05.1982 कूटरचित तैयार की गई है जो कि शुरू से ही शून्य एंव अवैध है। उक्त शून्य एंव अवैध लिखित दिनांक 25.05.1982 प्रतिवादीगण के अधिकारों पर बेअसर है। राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.200 हैक्टेयर भूमि कस्टोडियन विभाग द्वारा जीवों के आधार पर नर सिंह, भागों, केसर सिंह, वसाखा सिंह, भूपो, वीरो, छिन्दो के नाम से आवटन हुआ था। जिसमें से केसर सिंह का 1/7 हिस्सा था। लेकिन बाद में केसर सिंह के पिता नर सिंह व माता भागो का देहान्त हो चुका है। इस प्रकार उक्त रकबा में वर्तमान में प्रत्येक खातेदारान का 1/5 हिस्सा बनता है। तथा मृतक केसर सिंह का भी 1/5 हिस्सा बनता था। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति केसर सिंह उर्फ केसरनाथ द्वारा अपने जीवनकाल में पूरे होश हवास में बिना किसी नशे पत्ते के सोच समझकर तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर चक 42 जीजी के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा नहरी रकबा में से अपना वर्तमान 1/5 हिस्सा नहरी रकबा की दिनांक 05.02.2008 को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में रूबरू गवाहान बन्द वसीयत करवा दी थी। उक्त वसीयत में यह भी दर्ज करवा दिया था कि वादी सुरजीत सिंह मेरी पत्नी सुरजीत कौर की नाजायज औलाद थी। वादी सुरजीत सिंह के पैदा होने से 3-4 वर्ष पूर्व की सुरजीत कौर के साथ विवाद होने के कारण हम अलग-अलग हो चुके थे। इसलिए उक्त सरजीत सिंह मेरी आराजी कृषि भूमि में दावेदार होकर हक प्राप्त करना चाहेगा तो वह झूठा मान्य होगा। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता केसर सिंह उर्फ केसरनाथ की दिनांक 11.05.2012 को मृत्यू हो चुकी है। इसलिए वर्तमान में उक्त वसीयत अस्तित्व में आ चुकी है। उक्त वसीयत दिनांक 05.02.2008 मृतक केसर सिंह उर्फ केसरनाथ की अन्तिम वसीयत थी। जो कि उसकी मृत्यू के पश्चात लागू हो चुकी है तथा दिनांक 02.06.2016 को उक्त बन्द वसीयत दिनांक 05.02.2008 की रूह से वसीयत में दर्ज अपना-अपना हिस्सा अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त वसीयत दिनांक 05.02.2008 सही एवं वैध है। वादी द्वारा वर्तमान में शून्य एंव अवैध दस्तावेज दिनांक 25.05.1982 के आधार पर उक्त वाद 34 वर्ष बाद पेश किया है। इसलिए भी उक्त दस्तावेज पर सन्देह पैदा होता है। कि उक्त दस्तावेज वादी द्वारा वर्तमान में फर्जी तैयार कर उक्त मुकदमा पेश किया है। जो मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.200 हैक्टेयर भूमि में से मृतक केसर सिंह के 1/5 हिस्से की आराजी की वसीयत दिनांक 05.02.2008 की रूह से प्रतिवादीगण सुखमन्द्र सिंह, जसपाल सिंह, कृपाल सिंह पिसरान केसर सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश जारी किये जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाब काउन्टर क्लेम के अनुसार वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या वादी चक 42 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.200 हैक्टेयर भूमि में केसर सिंह पुत्र नर सिंह के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा भूमि में इकरारनामा दिनांक 25.05.1982 की रूह से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्राप्त करने का हकदार है?

-जिम्मे वादी-

(ii) आया कि क्या वादी इस भूमि के संबध मे स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

-जिम्मे वादी-

(iii) आया कि क्या वादी मृतक केसर सिंह का जायज वारिस नहीं होने के कारण केसर सिंह के हिस्से की भूमि में से कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है?

-जिम्मे प्रतिवादीगण-

(iv) आया कि क्या वादी के द्वारा पेश किया गया, दस्तावेज दिनांक 25.05.1982 शून्य एंव अवैध है?

-जिम्मे प्रतिवादीगण-

(v) आया कि क्या मृतक केसर सिंह की वसीयत दिनांक 05.02.2008 की रूह से प्रतिवादीगण मृतक केसर सिंह की भूमि को अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के हकदार है?

-जिम्मे प्रतिवादीगण-

(vi) आया कि क्या वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार में नहीं है?

-जिम्मे प्रतिवादीगण-

(vii)अनुतोष।

4. वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 25/24 की प्रति, साक्ष्य प्रदर्श-2 परिवार राशन कार्ड की प्रति, जिसकी छायाप्रति प्रदर्श-2ए, साक्ष्य प्रदर्श-3 स्कूल टी.सी की प्रति, जिसकी छायाप्रति प्रदर्श-3ए, साक्ष्य प्रदर्श-4 आधार कार्ड की प्रति, जिसकी छायाप्रति प्रदर्श-4ए, साक्ष्य प्रदर्श-5 कार्यालय ग्राम पंचायत 48 जीजी श्रीनगर द्वारा जारी वारिस तस्दीक प्रमाण की प्रति, जिसकी छायाप्रति प्रदर्श-5ए, प्रदर्शित करवाए व स्वंय वादी सुरजीत सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। वकील प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श ए-1 वसीयत दिनांक 05.02.2008 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाई तथा स्वंय प्रतिवादीगण सुखन्दर सिंह, कृपाल सिंह व गवाह बलदेव राम का साक्ष्य शपथपत्र पेश किए। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील वादी के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

5. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i) :आया कि क्या वादी चक 42 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.200 हैक्टेयर भूमि में केसर सिंह पुत्र नर सिंह के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा भूमि में इकरारनामा दिनांक 25.05.1982 की रूह से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्राप्त करने का हकदार है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी के द्वारा अपने वादपत्र मे अर्ज किया है कि पारिवारिक समझौता दिनांक 25.05.1982 के आधार पर मृतक केसर सिंह पुत्र नर सिंह के नाम राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.200 हैक्टेयर भूमि में से दर्ज 1/7 हिस्सा भूमि में वादी को 1 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। परन्तु वादी के द्वारा उक्त कथन के खंडन के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में असल पारिवारिक समझौता दिनांक 25.05.1982 को प्रस्तुत नहीं किया है। केवल छायाप्रति प्रस्तुत की है। जिस पर साक्ष्य प्रदर्श नहीं लगया जा सकता है। लिहाजा असल दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी को वादगत भूमि में से 1 बीघा

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

10 बिस्वा का खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः वादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। यह तनकी विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि क्या वादी इस भूमि के संबध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व निर्णीत की जा चुकी है। लिहाजा वादी इस तनकी को भी साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। यह तनकी विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (iii) आया कि क्या वादी मृतक केसर सिंह का जायज वारिस नहीं होने के कारण केसर सिंह के हिस्से की भूमि में से कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम मे कथन किया है कि वादी, केसर सिंह का वारिस नहीं है और ना ही केसर सिंह तथा सुरजीत कौर के नुत्फे से पैदा हुआ है। वसीयत में दर्ज करवा दिया था कि वादी सुरजीत सिंह मेरी पत्नी सुरजीत कौर की नाजायज औलाद थी। वादी सुरजीत सिंह के पैदा होने से 3-4 वर्ष पूर्व की सुरजीत कौर के साथ विवाद होने के कारण हम अलग-अलग हो चुके थे। इसलिए उक्त सरजीत सिंह मेरी आराजी कृषि भूमि में दावेदार होकर हक प्राप्त करना चाहेगा तो वह झूठा मान्य होगा। साक्ष्य प्रदर्श-2ए परिवार राशन कार्ड में सरजीत सिंह (खुद), मलकीत कौर (पत्नी), अमरजीत सिंह (पुत्र), जंगीर कौर (माता), केशर सिंह (पिता) अंकित है। प्रदर्श-3ए टी.सी. व प्रदर्श-4ए आधार कार्ड में वल्दियत केसर सिंह दर्ज है। प्रदर्श-5ए कार्यालय ग्राम पंचायत 48 जीजी श्रीनगर द्वारा जारी वारिस तस्दीक प्रमाण में वर्णित किया गया है कि केसर सिंह पुत्र नर सिंह की मृत्यू दिनांक 11.05.2012 को हो चुकी है, जिसके जायज वारिसान जंगीर कौर(मृतक पत्नी), सुरजीत सिंह (पुत्र), गुरमेल कौर (पत्नी), सुखमन्द्र सिंह (पुत्र), जसपाल सिंह(पुत्र), कृपाल सिंह (पुत्र) है। लिहाजा उक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादी सुरजीत सिंह मृतक केसर सिंह पुत्र नर सिंह का विधिक वारिस है। अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (iv) आया कि क्या वादी के द्वारा पेश किया गया, दस्तावेज दिनांक 25.05.1982 शून्य एंव अवैध है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। वादी के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में असल पारिवारिक समझौता दिनांक 25.05.1982 प्रस्तुत नहीं किया है। उसकी छायाप्रति प्रस्तुत की है। राजस्व न्यायालय को किसी दस्तावेजात की छायाप्रति को अवैध घोषित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (v) आया कि क्या मृतक केसर सिंह की वसीयत दिनांक 05.02.2008 की रूह से प्रतिवादीगण मृतक केसर सिंह की भूमि को अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के हकदार है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम मे अर्ज किया है कि राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.200 हैक्टेयर भूमि कस्टोडियन विभाग द्वारा जीवों के आधार पर नर सिंह, भागों, केसर सिंह, वसाखा सिंह, भूपो, वीरो, छिन्दो के नाम से आवटन हुआ था। जिसमें से केसर सिंह का 1/7 हिस्सा था। लेकिन बाद में केसर सिंह के पिता नर सिंह व माता भागो का देहान्त हो चुका है। इस प्रकार उक्त रकबा में वर्तमान में प्रत्येक खातेदारान का 1/5 हिस्सा बनता है। तथा मृतक केसर सिंह का भी 1/5 हिस्सा बनता था।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति केसर सिंह उर्फ केसरनाथ द्वारा अपने जीवनकाल में पूरे होश हवास में बिना किसी नशे पत्ते के सोच समझकर तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर चक 42 जीजी के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा नहरी रकबा में से अपना वर्तमान 1/5 हिस्सा नहरी रकबा की दिनांक 05.02.2008 को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में रूबरू गवाहान बन्द वसीयत करवा दी थी। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता केसर सिंह उर्फ केसरनाथ की दिनांक 11.05.2012 को मृत्यू हो चुकी है। इसलिए वर्तमान में उक्त वसीयत अस्तित्व में आ चुकी है। उक्त वसीयत दिनांक 05.02.2008 मृतक केसर सिंह उर्फ केसरनाथ की अन्तिम वसीयत थी। दिनांक 02.06.2016 को उक्त बन्द वसीयत दिनांक 05.02.2008 की रूह से वसीयत में दर्ज अपना-अपना हिस्सा अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त वसीयत दिनांक 05.02.2008 सही एवं वैध है। वादी के द्वारा वादपत्र में कथन किया है कि केसर सिंह को इस रकबा की वसीयत करने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं था। कथित वसीयत वादी के अधिकारों पर शुरू से बेअसर है तथा केसर सिंह को बहला फुसलाकर अनुचित दवाब बनाकर तथा उसके बुढापे का अनुचित लाभ उठाने की नियत से बनावायी गई वसीयत फर्जी व कूटरचित है। साक्ष्य प्रदर्श ए-1 वसीयत दिनांक 05.02.2008 की प्रमाणित प्रति में वर्णित किया गया है कि चक 42 जीजी के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 ता 25 में कुल तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा नहरी रकबा कस्टोडियन विभाग द्वारा जीवों के आधार पर नर सिंह, भागो, केसर सिंह, वसाखा सिंह, बीरो, छिन्दो के नाम से 1/7 हिस्सा आवंटनशुदा है। जिसमें से मिकर का भी 1/7 हिस्सा स्वंय अर्जित आवंटन शुदा है। मिकर के माता-पिता का स्वर्गवास हो चुका है। इस प्रकार से अब मिकर का उक्त कृषि भूमि में 1/5 हिस्सा मालिकाना हक एंव अधिकार बनता है। मिकर की तीन सन्तानें सुखन्दर सिंह, जसपाल सिंह, कृपाल सिंह पिसरान केसर सिंह है जो मिकर के साथ रह रहे है। उक्त सम्पति में सरजीत सिंह का कोई वास्ता ना होगा। मात्र मेरे पुत्र वैद्य सन्तान सुखमन्दर सिंह, जसपाल सिंह, कृपाल सिंह मेरे हिस्सा की कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा बराबर-बराबर के मालिक होगें। उक्त बन्द वसीयत दिनांक 05.02.2008 को जिला पंजीयक श्रीगंगानगर के द्वारा दिनांक 02.06.2016 को खोली जाकर निर्धारित शूल्क 540/- रुपए जमा करवाकर पजीबद्व किया गया है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत बन्द वसीयत दिनांक 05.02.2008 को जिला पंजीयक श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 02.06.2016 को पंजीबद्व किया गया है। जिसे वादी द्वारा अवैध व निरस्त घोषित करवाने बाबत किसी सक्षम न्यायालय में चाराजोही नहीं की गई है। तथाकथित वसीयत अस्तित्व में है। जिसकी रूह से वादी खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। यह तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (vi) आया कि क्या वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार में नहीं है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। वादी के द्वारा पारिवारिक समझौता दिनांक 25.05.1982 के आधार पर मृतक केसर सिंह पुत्र नर सिंह के नाम राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.200 हैक्टेयर भूमि में से दर्ज 1/7 हिस्सा भूमि में 1 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार घोषित किए जाने अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में चाहा गया है। खातेदारी अधिकारो की घोषणा का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

(vii) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1, 2 विरूद्व वादी व तनकी संख्या 3, 4, 6 विरूद्व प्रतिवादीगण तथा तनकी संख्या 5 बहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

-:क्रियात्मक आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण सुखमन्द्र सिंह, जसपाल सिंह, कृपाल सिंह पिसरान केसर सिंह को वसीयत दिनांक 05.02.2008 की रूह से राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 09/25 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.200 हैक्टेयर भूमि में मृतक केसर सिंह पुत्र नर सिंह के नाम दर्ज 0.984 हैक्टेयर भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है व प्रकरण संख्या 525/2016, अनवान सुरजीत सिंह बनाम गुरमैल कौर आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 24.12.2020 भी निरस्त की जाती है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सेर इजलास सुनाया गया।

(श्योराम) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सुरजीत सिंह बनाम गुरमैल कौर आदि

धारा अन्तर्गत **88, 188, 91, 92ए आरटीए** मुकदमा नम्बर **82/2016**

निर्णय दिनांक :-16.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण सुखमन्द्र सिंह, जसपाल सिंह, कृपाल सिंह पिसरान केसर सिंह को वसीयत दिनांक 05.02.2008 की रूह से राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 09/25 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.200 हैक्टेयर भूमि में मृतक केसर सिंह पुत्र नर सिंह के नाम दर्ज 0.984 हैक्टेयर भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है व प्रकरण संख्या 525/2016, अनवान सुरजीत सिंह बनाम गुरमैल कौर आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 24.12.2020 भी निरस्त की जाती है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा।

आज दिनांक 16.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दिनांक: 16.06.2025

क्रमांकः रीडर/ 2025/375

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)